

कार्यालय निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय

107, चन्दर नगर, देहरादून- 248001

पत्रांक संख्या:- 5597/चि0शि0/03(मेडिकल)/04/2004

दिनांक :- 09 दिसम्बर, 2022

सेवा में,

01. प्राचार्य, सीमा डेन्टल कॉलेज, ऋषिकेश।
02. प्राचार्य, उत्तरांचल डेन्टल एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, देहरादून।
03. प्राचार्य, श्री गुरु राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइन्सेस, पटेल नगर, देहरादून।
04. प्राचार्य, हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस, जौली ग्राण्ट, देहरादून।
05. प्राचार्य, गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज, देहरादून।
06. प्राचार्य/सक्षम प्राधिकारी, समस्त निजी नर्सिंग/निजी पैरामेडिकल संस्थान, उत्तराखण्ड।
07. अध्यक्ष/सचिव, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल एसोसियेशन, देहरादून।


विषय:- महाविद्यालय/संस्थान से संबंधित विभिन्न प्रकार के निजी/अनानुदानित प्रोफेशनल कोर्सेस के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के प्रवेश शुल्क संशोधित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति एवं अपीलीय प्राधीकरण, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:-4681/शु0नि0स0/2022-23 दिनांक 08.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 के अनुक्रम में प्रदेश की प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति गठित है। मा0 सर्वाच्चा न्यायालय, भारत सरकार एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन के उक्त अधिनियम में प्राप्त अधिकारों के अनुसार प्रदेश में सभी निजी/अनानुदानित प्रोफेशनल कोर्सेस का प्रवेश शुल्क तय/संशोधित करने का अधिकार प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति को प्राप्त है। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में अकादमिक सत्र 2022-23 हेतु नया शुल्क प्रारूप प्रदेश के सभी विभागों/संस्थानों में चल रहे विभिन्न प्रकार के निजी/अनानुदानित प्रोफेशनल कोर्सेस के प्रवेश शुल्क तय/संशोधित किये जाने हेतु विकसित किया गया है, जो कि उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट (www.heuk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः पुनः सूचित किया जाता है कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 के प्रवेश शुल्क तय/संशोधित करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव यथा पूर्व 03 वर्षों की ऑडिटेड बैलेन्स शीट, आगामी 03 वर्षों की प्रोविजनल बैलेन्स सीट फॉर्म 16. traces record of each employee (Teaching/non-teaching/administrative/others) तथा सभी सुसंगत प्रपत्रों और लेखा पुस्तकों के साथ दिए 31 दिसम्बर 2022 तक व्यक्तिगत रूप से अथवा पत्रवाहक द्वारा 03 प्रतियों में समिति के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। कार्यालय का पता निम्न है-

Adress	-	State Nodal Officer. Officer of the Admission and Fee Regulatory committee & Appellate Authority. Govt. of Uttarakhand Doon University Campus (Near main Gate) Dehradun, Uttarakhand (248001)
Contract	-	7906894380

अतः आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 के प्रवेश शुल्क तय/संशोधित करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव यथा पूर्व 03 वर्षों की ऑडिटेड बैलेन्स शीट, आगामी 03 वर्षों की प्रोविजनल बैलेन्स सीट फॉर्म 16. traces record of each employee (Teaching/non-teaching/administrative/others) तथा सभी सुसंगत प्रपत्रों और लेखा पुस्तकों के साथ दिए 31 दिसम्बर 2022 तक व्यक्तिगत रूप से अथवा



प्रवाहक द्वारा 03 प्रतियों में समिति के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें तथा इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।

संलग्नक यथोपरि:-

भवदीय

(डॉ० महेन्द्र कुमार पन्त)
संयुक्त निदेशक

पत्रांक संख्या:- 5597/चि०शि०/०३(मेडिकल)/०४/२००४ तददिनांकित
प्रतिलिपि:-

01. नोडल अधिकारी, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति एवं अपीलीय प्राधीकरण, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
02. गौरव गोयल (चार्टर्ड एकाउंटेंट), सदस्य, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति, हाउस न०-०२, वसंत विहार इन्क्लेव, नीयर आर्शीवाद पेट्रोल पम्प, मैन मन्दिर मार्ग, देहरादून अथवा ३८ आड़त बाजार, अबव केनरा बैंक, सहारनपुर चौक, देहरादून, उत्तराखण्ड, देहरादून, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
03. चिकित्सा शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु श्री चन्द्रशेखर गुरुरानी, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ० महेन्द्र कुमार पन्त)
संयुक्त निदेशक



प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति एवं अपीलीय प्राधिकरण
उत्तराखण्ड शासन

पत्रांक: —

/शु0नि0स10/2022-23

डॉ० ए० एस० उनियाल, नोडल अधिकारी

Contact: afrc.uk@gmail.com

दिनांक: 08 दिसम्बर, 2022

सेवा में,

अध्यक्ष/निदेशक/प्राचार्य

समस्त महाविद्यालय/संस्थान (जहाँ निजी/अनानुदानित प्रोफेशनल कोर्स निहित है)
उत्तराखण्ड राज्य

विषय: महाविद्यालय/संस्थान से संबंधित विभिन्न प्रकार के निजी/अनानुदानित प्रोफेशनल कोर्स के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के प्रवेश शुल्क संशोधित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने विषयक।

महादेय,

उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 के अनुक्रम में प्रदेश की प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति गठित है। मा० सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार, एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, एवं उत्तराखण्ड शासन के उक्त अधिनियम में प्राप्त अधिकारों के अनुसार प्रदेश में सभी निजी/अनानुदानित प्रोफेशनल कोर्स का प्रवेश शुल्क तय/संशोधित करने का अधिकार प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति को प्राप्त है। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में अकादमिक सत्र 2022-23 हेतु नया शुल्क प्रारूप प्रदेश के सभी विभागों/संस्थानों में चल रहे विभिन्न प्रकार के निजी/अनानुदानित प्रोफेशनल कोर्स के प्रवेश शुल्क तय/संशोधित किये जाने हेतु विकसित किया गया है, जो कि उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट (www.he.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः पुनः सूचित किया जाता है कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 के प्रवेश शुल्क तय/संशोधित करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव यथा पूर्व 03 वर्षों की ऑडिटेड बैलेन्स शीट, आगामी 03 वर्षों की प्रोविजनल बैलेन्स शीट, फॉर्म 16, traces record of each employee (Teaching/non-teaching/administrative/others) तथा सभी सुसंगत प्रपत्रों और लेखा पुस्तकों के साथ दि० 31 दिसम्बर, 2022 तक व्यक्तिगत रूप से अथवा पत्रवाहक द्वारा 03 प्रतियों में समिति के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। कार्यालय का पता निम्न है—

Address	-	State Nodal Officer, Office of the Admission and Fee Regulatory Committee & Appellate Authority, Govt. of Uttarakhand Doon University Campus (near Main Gate) Dehradun, Uttarakhand (248001)
Contact	-	7906894380

अतः उक्त हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा प्रस्ताव पूर्ण रूप में ही स्वीकार्य होंगे।

भवदीय

/
(डॉ० ए० एस० उनियाल)
नोडल अधिकारी

पत्रांक: 4687/शु0नि0स0/2022-23 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड राज्य
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड राज्य
3. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड राज्य
4. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड राज्य
5. अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-3, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
6. गार्ड फाईल

08.12.2022

(डॉ० ए० एस० उनियाल)
नोडल अधिकारी